/

**जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई यथा अंचल/प्रमंडल/प्रयोगशाला द्वारा विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में किए जा रहे कार्यों की दिनांक 11.09.2025 के पूर्वाह्न में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।**

---

जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई यथा अंचल/प्रमंडल/प्रयोगशाला द्वारा कार्यान्वित कार्यों की समीक्षा हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2025 के पूर्वाह्न में मुख्यालय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गयी।

1. <u>निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित :–</u>
   - (i) अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
   - (ii) अधीक्षण अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग।
   - (iii) सभी अधीक्षण अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग।
   - (iv) सभी कार्यपालक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग। (कार्यपालक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, नालन्दा को छोड़कर)
   - (v) सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया :–
   - (i) विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरुप सभी जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई यथा (क) कार्य प्रमंडल स्तर पर 108 प्रयोगशाला (ख) कार्य अंचल स्तर पर 22 प्रमंडल एवं (ग) मुख्य अभियन्ता प्रक्षेत्र पर 6 अंचल के कार्यालय प्रधान को MIS अवलोकन एवं निरीक्षण प्रतिवेदन MIS Portal पर upload किये जाने हेतु Login ID–Password निर्गत किया जाना है।

     गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग द्वारा पूर्व से उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में संबंधित कार्य हेतु वांछित सूचनाएँ यथा नाम, पदनाम/मोबाइल नं0/Email-ID इत्यादि उपलब्ध कराया गया। MIS प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा स्पष्ट किया गया कि संबंधित पदाधिकारियों को Login ID–Password वांछित डाटा प्राप्त होने के उपरान्त दो दिनों में उपलब्ध कराया जायेगा।
   - (ii) अभियन्ता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई द्वारा किये जा रहें निरीक्षण कार्यों का मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण किया जाएगा। उनके द्वारा प्रत्येक माह न्यूनतम 20 योजनाओं का निरीक्षण कर MIS पर upload करना सुनिश्चित किया जाएगा। तत्पश्चात् निरीक्षण/जाँच कार्यों से संबंधित खर्च की माँग/अधियाचना के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(iii) सभी नवसृजित जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालय के प्रधान द्वारा कार्यालय स्थापना से संबंधित कृत कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत कराया गया। उनके द्वारा वेतन आदि के भुगतान हेतु Checker/Maker से संबंधित कर्मी (LDC/UDC) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि निकटतम कार्य अंचल/प्रमंडल के कार्यालय से संबंधित LDC/UDC को जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला/प्रमंडल/अंचल के कार्यों को करने हेतु मुख्यालय से निदेशित किया जाये ताकि वेतन आदि अन्य खर्च संबंधित भुगतान की समस्याओं का अविलम्ब समाधान किया जा सके।

(iv) बैठक में इस विषय पर सहमति व्यक्त की गयी कि सभी जाँच गुणवत्ता नियंत्रण इकाई यथा अंचल/प्रमंडल/प्रयोगशाला को न्यूनतम कार्यबल चार की संख्या में (TS/JE, LDC/UDC, Data Entry Operator एवं IT Boy) उपलब्ध कराया जाए।

(v) अभियन्ता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग को निदेशित किया गया कि जिन जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई अंचल/प्रमंडल/प्रयोगशाला द्वारा कार्यालय का स्थापना कर लिया गया है उनसे अधियाचना प्राप्त कर BRRDA से Data Entry Operator (Computer and Printer सहित) एवं IT Boy उपलब्ध कराया जाए।

(vi) बैठक में जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई यथा प्रमंडल/अंचल के पदाधिकारियों द्वारा कार्य स्थल निरीक्षण हेतु वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध विभाग से किया गया।

सरकार के अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक–1924 अनु0 दिनांक–18.02.2025 के तर्ज पर वाहन सेवा प्रदाता के माध्यम से सभी जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई यथा प्रयोगशाला/प्रमंडल/अंचल को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदन कराये जाने का निदेश गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग को दिया गया।

(vii) गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग द्वारा आवंटित ATR निराकरण एवं परिवादों के जाँच कार्यों की समीक्षा की गयी।

जाँच कार्य हेतु अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिस कार्य स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है संबंधित जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को समर्पित कर दिया जाएगा।

(viii) कार्यपालक अभियन्ता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, मझौल बखरी में (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थापित सहायक अभियन्ता मो0 अख्तर हुसैन द्वारा अब तक योगदान नहीं

किया गया है। मो0 हुसैन का मूल पदस्थापन कार्य अवर प्रमंडल, छौराही, मझौल बखरी में है। कार्य प्रमंडल, मझौल बखरी द्वारा सूचित किया गया है कि मो0 हुसैन सहायक अभियन्ता द्वारा अब तक इस प्रमंडल में योगदान नहीं दिया है।

गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग को इस विषय पर जाँच कराने का निदेश दिया गया है।

उपस्थिति विवरणी संलग्न।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

15/9/25
(निर्मल कुमार)
अभियन्ता प्रमुख–सह
–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – 5167 पटना, दिनांक – 15/9/25

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

15/9/25
अभियन्ता प्रमुख–सह
–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–मु0अ0(नि0एवं गुण0नि0)विविध कार्य–06–165/2024 5167 पटना, दिनांक – 15/9/25

प्रतिलिपि – माननीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

15/9/25
अभियन्ता प्रमुख–सह
–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – मु0अ0(नि0एवं गुण0नि0)विविध कार्य–06–165/2024 5167 पटना, दिनांक – 15/9/25

प्रतिलिपि – अभियन्ता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/25
अभियन्ता प्रमुख–सह
–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक  मु0अ0(नि0एवं गुण0नि0)विविध कार्य–06–165/2024 5167 पटना, दिनांक – 15/9/25
प्रतिलिपि  सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

15/9/25
अभियन्ता प्रमुख–सह
–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – मु0अ0(नि0एवं गुण0नि0)विविध कार्य–06–165/2024 5167 पटना, दिनांक –15/9/25
प्रतिलिपि – सभी अधीक्षण अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/25
अभियन्ता प्रमुख–सह
–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – मु0अ0(नि0एवं गुण0नि0)विविध कार्य–06–165/2024 5167 पटना, दिनांक –15/9/25
प्रतिलिपि – IT मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/9/25
अभियन्ता प्रमुख–सह
–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव